

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-देवगाँवपोस्को एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध विशेष रूप से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज व प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में दिनांक 26.09.2021 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराही के साथ रोकथाम जुर्म-जरायम मे मामूर देखभाल क्षेत्र करते हु ए लालगंज मे मौजूद थे कि जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि मु0अ0स0 167/2021 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोस्को एक्ट व 3(2)5 SC ST Act से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त चन्दन यादव पुत्र संतोष यादव नि0 आर्यनगर कटघर लालगंज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ जो छावनी लालगंज में मौजूद है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर के उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय राह के छावनी लालगंज पर पहुंचे तो एक व्यक्ति खडा दिखाई दिया जो पुलिस टीम को देखकर तेज कदमों से भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा भागते हुए व्यक्ति को 15- 20 कदम जाते जाते पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो चन्दन यादव पुत्र संतोष यादव नि0 आर्यनगर कटघर लालगंज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ बताया। पकड़े गये व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बता कर समय करीब 09.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियोग पंजीकृत-

1- मु0अ0स0 167/2021 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4पोस्को एक्ट व 3(2)5 SC ST Act थाना देवगाँव आजमगढ़,

गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता—

1- चन्दन यादव पुत्र संतोष यादव नि0 आर्यनगर कटघर लालगंज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- (1) उ0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (2) हे0का0 इशरार शेख थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (3) का0 अर्जुन कुशवाहा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

जनपद के थाना-मुबारकपुर, रौनापार, देवगाँव व जीयनपुर से 04 नफर वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वारंटी / वांछित अपराधी की गिरफ्तारी के क्रम में चार वारंटी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार जो निम्नवत है-

1- थाना मुबारकपुर

प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर एस0पी0 सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक- 26.09.2021 को अभियान के क्रम में वारंटी असरफ पुत्र स्व0 हसनैन निवासी इस्माईलपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित मु0अ0सं0 90/20217 धारा 8/20 NDPS Act. की बाउमिद गिरफ्तारी हेतु वारंटी अभियुक्त के घर पर दविश दी गयी, घर पर मौजूद मिला कि कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 11.55 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

2- थाना-देवगाँव

दिनांक 26.09.2021 को उ0नि0 मेहरे आलम मय राह रोकथाम जुर्म-जरायम व NBW मा0 न्यायालय एसीजेएम कोर्ट नं0 10 मु0अ0 383/2013 धारा 3/2/5 लो0स0नि0क्ष0 अधि0 की तामिला हेतु दबिश हेतु ग्राम अहिरौली पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर बैठा था जिससे नाम पूछा गया तो अपना नाम राजेश पुत्र भगौती नि0 अहिरौली थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ बताया जिसको NBW मा0 न्यायालय एजीएम कोर्ट नं0 10 मु0अ0स0 383/2013 धारा 3/2/5 लो0स0नि0क्ष0 अधि का बोध कराते हुए समय करीब 11.30 हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रहा है।

3- थाना-रौनापार

दिनांक: 26.09.2021 को रौनापार पुलिस द्वारा मु0नं0 2563/09 जे0एम0 आजमगढ़ कोर्ट नं0 02 आजमगढ़ धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में वारंटी अभियुक्त शहबान खाँ पुत्र रोजन खाँ सा0 अजगरा मशर्की नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को उसके घर अजगरा मशर्की नैनीजोर से समय लगभग 11.10 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

4. थाना जीयनपुर

आज दिनांक 26/09/2021 को प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में उनि 0 ज्ञानप्रकाश तिवारी मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 109/17 धारा 60(2) आबकारी अधि व 272 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त राजेश राम पुत्र स्व बालकरन सा0 महदेवा थाना जीयनपुर

आजमगढ़ को वारण्टी के घर ग्राम महादेवा से समय 07.50 AM बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रहा है।